

पत्र संख्या-वि0व0संग्रह/2018-19/

754

/वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(संग्रह अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: ॥ अक्टूबर, 2018

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,

लखनऊ जोन प्रथम/द्वितीय, लखनऊ।

गाजियाबाद जोन प्रथम/द्वितीय, गाजियाबाद।

मुरादाबाद जोन मुरादाबाद।

मुख्यालय के पत्र संख्या- वि0व0संग्रह/2018-19/708/वाणिज्य कर दिनांक 03.10.2018 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसकी छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि लखनऊ, गाजियाबाद एवं मुरादाबाद के बकाया वसूली अभिलेखों की जांच हेतु दो टीमों का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	टिप्पणी
1.	श्री शैलेश गिरि	एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ	अध्यक्ष
2.	श्री शिव कुमार तिवारी	अपर सांख्यिकीय अधिकारी (संग्रह) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ	सदस्य
3.	श्री संत शरण	अपर सांख्यिकीय अधिकारी (संग्रह) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ	सदस्य
4.	श्री सी0एल0 उमराव	वरिष्ठ लेखा परीक्षक, कानपुर	सदस्य
5.	श्री सौरभ गुप्ता	वरिष्ठ लेखा परीक्षक, मुरादाबाद	सदस्य

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	टिप्पणी
1.	श्री गुलाब चन्द्र	ज्वाइन्ट कमिश्नर (संग्रह) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ	अध्यक्ष
2.	श्री योगेश कुमार सिंह	असिस्टेन्ट कमिश्नर (संग्रह) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ	सदस्य
3.	श्री अखिलेश द्विवेदी	वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ	सदस्य
4.	श्रीमती शमा परवीन	वाणिज्य कर अधिकारी (संग्रह) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ	सदस्य
5.	श्रीमती मीना वजीरानी	वाणिज्य कर अधिकारी (संग्रह) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ	सदस्य
6.	श्री निहाल सिंह	वरिष्ठ लेखा परीक्षक, फैजाबाद	सदस्य

उक्त में से प्रथम टीम द्वारा लखनऊ के खण्ड 1 से 13 तक व द्वितीय टीम द्वारा खण्ड-14 से 22 तक का निरीक्षण खण्डवार किया जायेगा। लखनऊ जनपद का निरीक्षण दिनांक **दिनांक 23.10.2018 से 30.10.2018 तक** किया जायेगा।

इसी प्रकार गाजियाबाद में खण्ड 1 से 10 तक व द्वितीय टीम द्वारा खण्ड-11 से 19 तक का निरीक्षण खण्डवार किया जायेगा। गाजियाबाद जनपद का निरीक्षण दिनांक **दिनांक 12.11.2018 से 17.11.2018 तक** किया जायेगा।

इस प्रकार टीम द्वारा मुरादाबाद के खण्ड 1 से 5 तक व द्वितीय टीम द्वारा खण्ड-6 से 10 तक का निरीक्षण खण्डवार किया जायेगा। मुरादाबाद जनपद का निरीक्षण दिनांक **दिनांक 26.11.2018 से 30.11.2018 तक** किया जायेगा।

अतः उपरोक्त निरीक्षण हेतु सूचना सम्बन्धी एक प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **संलग्न सूचना तैयार कराकर रखी जाय तथा टीम के पहुँचने पर तत्काल प्राप्त करा दी जाय।**

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशा0) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0संख्या व दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि : टीम के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नाम से।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशा0) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

o l c

कमिश्नर महोदया के निर्देशानुसार बकाया की वसूली से सम्बन्धित समीक्षा हेतु मुख्यालय स्तर से गठित टीम को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का प्रारूप

क्र० सं०	खण्ड/कारपोरेट सर्किल का नाम-	सम्भाग का नाम जोन का नाम				
		आर० सी० की कुल संख्या	धनराशि (लाख ₹० में)	टिप्पणी		
अभिलेख का विवरण	1	वित्तीय वर्ष 2018-19 में दि० 01.09.2018 को कुल आच्छादित बकाया				
	2	दिनांक 01.09.2018 को खण्ड कार्यालय में कितनी आर०सी० मूल/डुप्लीकेट के रूप में मौजूद है				
	3	खण्ड कार्यालय में कितनी आर०सी० मूल/डुप्लीकेट के रूप में मौजूद नहीं है जबकि बकाया के अभिलेखों (आर०-3/आर०-27)/विवरण पत्रों में अंकित है				
	4	उक्त के सापेक्ष कितनों में पत्रावलियाँ मौजूद हैं				
स्थगन के मामलों का विवरण	5	प्रथम अपील से बकाया वसूली स्थगन (स्टे) के लम्बित मामलें				
	6	द्वितीय अपील से बकाया वसूली स्थगन (स्टे) के लम्बित मामलें				
	7	मा० उच्च न्यायालय से बकाया वसूली स्थगन (स्टे) के लम्बित मामलें (सूची संलग्न करें)				
	8	मा० उच्चतम न्यायालय से बकाया वसूली स्थगन (स्टे) के लम्बित मामलें (सूची संलग्न करें)				
	9	मा० राष्ट्रीय ऋण वसूली ट्रिबुनल से बकाया वसूली स्थगन (स्टे) के मामलें (सूची संलग्न करें)				
	10	मा० एन०सी०एल०ए०टी० से बकाया वसूली स्थगन (स्टे) के लम्बित मामलें (सूची संलग्न करें)				
	11	मा० बी०आई०एफ०आर० में लम्बित मामलें (सूची संलग्न करें)				
	12	शासन/प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश से स्थगित मामले (सूची संलग्न करें)				
	लम्बित बकाया का विवरण	13	ट्रान्सपोर्टों पर बकाया के मामले(सूची संलग्न करें)			
		14	सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों व निगमों पर बकाया के मामले (सूची संलग्न करें)			
		15	धारा-31/32 में लम्बित मामलें			
		16	11 सूत्री व 22 सूत्रीय का विवरण (बट्टे खाते में डाली जाने वाली सम्भावित धनराशि का विवरण) सूची संलग्न करें			
17		अन्य प्रान्तों एवं अन्य जिलों को प्रेषित आर०सी० का विवरण (सूची संलग्न करें)				
निष्कर्ष	18	अपील/रिवीजन इत्यादि से कमी				
	19	बट्टे खाते में डाली गयी धनराशि				
	20	माह में माह तक जमा				
	21	शुद्ध वसूली योग्य बकाया (कुल बकाया में से पंक्ति 5 से 20 तक घटाकर दिखायें)				
	22	व्यास सेन्ट्रल पर प्रदर्शित आर०सी० की संख्या व धनराशि				
	23	एम०पी०आर० में घोषित बकाया की सूचना एवं व्यास सेन्ट्रल पर प्रदर्शित बकाया व अभिलेखों में दर्ज बकाया में यदि कोई अन्तर है तो उसका कारण स्पष्ट करें।				

नोट- समस्त आकड़ों के लिए कटऑफ तिथि दि० 01.09.2018 होगी तथा समस्त आंकड़े प्रगत्यात्मक (Progressive) होंगे

(खण्डाधिकारी के हस्ताक्षर/नाम पदनाम की मुहर)

(ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य०) के हस्ताक्षर/नाम पदनाम की मुहर)